

मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ 19-21/2020/पी-1/इकतीस,

भोपाल, 11/09/2020

प्रति,

प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल।

विषय:- "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र बाबत- श्री सतीश कुमार व्यास, कार्यपालन यंत्री।

संदर्भ:- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का पत्र पृष्ठांकन 21/तेरह/422/2019/स्था.(मु.) 2193

दिनांक 03.07.2020

—0—

श्री सतीश कुमार व्यास कार्यपालन यंत्री अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2020 को सेवानिवृत्त हुये।

2/ विभाग में उपलब्ध जानकारी/अभिलेखों के आधार पर श्री सतीश कुमार व्यास, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध कोई मांग एवं जांच लंबित नहीं है। नर्मदा घाटी विकास विभाग ने भी श्री व्यास के संबंध में विभागीय जांच आदि की जानकारी निरंक दर्शायी है।

3/ अतः उपरोक्त पृष्ठभूमि में श्री सतीश कुमार व्यास, सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री के पक्ष में "न मांग न जांच" प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग  
भोपाल, दिनांक 11/09/2020

पृ.क्रमांक एफ 19-21/2020/पी-1/इकतीस  
प्रतिलिपि,

1. संचालक(प्रशासन) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
2. संबंधित जिला कोषालय .....
3. संबंधित अधिकारी श्री सतीश कुमार व्यास, से.नि. कार्यपालन यंत्री द्वारा- संचालक (प्रशा.) नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भोपाल।
4. वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर वेबसाईड पर पृविष्टि हेतु।
5. स्टाक पंजी।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग